न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/2125/2005/भरतपुर

(2) प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/2126/2005/भरतपुर

1. कमला पुत्री रामहेत पत्नि बबुआ जाति धीमर निवासी ग्राम फतेहपुर सिकरी तहसील किरावली जिला आगरा, उत्तर प्रदेश
2. मु. बैकुण्ठी पत्नि रामहेत जाति धीमर निवासी ग्राम निभैरा तहसील रूपावास जिला भरतपुर

....अपीलार्थीगण

बनाम

मनोहरी पुत्र छोटेलाल जाति धीमर निवासी ग्राम निमैरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

....उत्तरदाता

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण।
श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता, उत्तरदाता।

निर्णय

दिनांकः– 05–02–2020

यह दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील सं. 147/2002 व 148/2002 में पारित किए गए एक ही निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2005 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. उक्त दोनों अपीलों में विधि का एक ही प्रश्न निहित होने के कारण तथा पक्षकारान समान होने से इनका निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जाए।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के समक्ष प्रकरण संख्या 19/1999 संस्थित किया गया, जिसके अनुसार वादी/मनोहरी ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 88 व 188 के तहत ग्राम निभेरा तहसील रूपवास स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 825 रकबा 3 बीघा भूमि के संबंध में कमला वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद का प्रतिवादी संख्या 1 कमला ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त इसी वाद में प्रतिवादी संख्या 2 बैकुण्ठी ने अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को खारिज करने का निवेदन किया। इसी प्रकार विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास के समक्ष एक अन्य वाद संख्या 96/1999 संस्थित किया गया, जिसके अनुसार वादी कमला ने उक्त वर्णित विवादित आराजियात के बाबत अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत प्रतिवादी मनोहरी वगैरहा के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरी ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को खारिज किए जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों दावों को समेकित कर दोनों वाद में प्रस्तुत वाद पत्र व जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित 5 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 16-08-2002 पारित किया। उक्त आदेश में न्यायालय ने विवेचित किया कि मनोहरी द्वारा पेश दावे को साबित नहीं कराने को आधारित करते हुए खारिज कर दिया। इसके साथ ही कमला द्वारा पेश दावे में वादिनी मृतक रामहेत का वारिस होना साबित है, अतः यह दावा डिक्री किया जाकर वादिनी को विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी मनोहरी के पक्ष में दिनांक 11-11-1998 को रामहेत द्वारा कराई गई वसीयत को अवैध व शून्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने यह भी विवेचित किया कि चूँकि प्रतिवादी वसीयत को साबित कराने में असफल रहा है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया गया। उक्त दोनों दावों में पारित उक्त एक ही निर्णय से व्यथित होकर मनोहरी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष

पृथक–पृथक अपील संख्या 147/2002 व अपील संख्या 148/2002 कमला वगैरहा के विरूद्ध पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त दोनों अपीलों में एक साथ विचारण करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 31–03–2005 पारित करते हुए दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा मामले में पारित किया गया निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने आदेश में यह भी विवेचित किया कि विवादित भूमि के संबंध में दावा कमला बनाम मनोहरी खारिज किया जाता है एवं उक्त आराजी खसरा संख्या 632 रकबा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 825 रकबा 3 बीघा ग्राम निभेरा तहसील रूपवास के वादी मनोहरी खातेदार काश्तकार घोषित कर रेकार्ड में इन्द्राज दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मनोहरी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2005 से व्यथित होकर कमला ने मण्डल के समक्ष हस्तगत दोनों अपीलें पेश की।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने बहस में कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि वसीयतकर्त्ता रामहेत की पत्नि बैकुण्ठी एवं पुत्री कमला है जिनका विवादित भूमि में बहिस्सा बराबर का हक है तथा वसीयतकर्त्ता की स्वयं पैदा कर्त्ता आराजी नहीं है, बल्कि विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि थी, जिसकी वसीयत रेस्पोडेन्ट के हक में करने का रामहेत को कोई अधिकार नहीं है। उनका आगे कहना है कि वसीयत दिनांक 11–11–1998 फर्जी है तथा वसीयत पर जिन गवाहों के हस्ताक्षर है उनके द्वारा भी वसीयत को साबित नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट/प्रतिवादी और व अनपढ है। उक्त स्थिति का फायदा उठाकर कथित वसीयत षडयंत्रपूर्वक रेस्पोडेन्ट के हक में निष्पादित करवाई दी गई है। अतः ऐसी वसीयत से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस कारण मनोहरी के दावे को विधिसम्मत निर्णय द्वारा खारिज किया है, जिसमें किसी विधि का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उनका तर्क है कि कथित वसीयत अपंजीकृत है

तथा वसीयत के गवाह एवं जिसके हक में निष्पादित की गई है, उसने स्वीकार किया है कि वसीयतकर्त्ता रामहेत बीमार रहता था तथा उसने बेहोशी की हाल में वसीयत को की है। इस कारण उक्त वसीयत को वैध दस्तावेज में ग्राहय नहीं किया जा सकता। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी प्रश्नगत रकबे की खातेदार काश्तकार होकर मौके पर काबिजकाश्त चली आ रही है। यहीं नहीं अपीलार्थी भूमि की खातेदार एवं सहखातेदार चली आ रही है तथा कथित वसीयत को न्यायालय द्वारा फर्जी प्रकट होना मानते हुए विचारण न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के तहत मनोहरी के वाद को अपास्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड तथा साक्ष्य व सबूतों को नजरन्दाज कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसे निरस्त किया जाना समीचीन है। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होना प्रकट होता है। अन्त में उन्होंने दोनों अपीलों को स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-04-2005 को अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी रूपावास द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16-08-2002 को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता उत्तरदाता ने अपनी बहस में कहा कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। उनका कहना है कि मामले में निष्पादित तथाकथित वसीयतकर्त्ता रामहेत की कमला पुत्री व बैकुण्ठी पत्नि है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में सम्पादित अपंजीकृत वसीयत दिनांक 11-11-1998 को गवाहान से प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। आगे बताया कि वसीयत के गवाह मोहरसिंह, दामोदर लाल शर्मा, रमेश, चन्दन और कुन्दन ने गयान करवाये इसमें से मनोहरी स्वयं तथा चन्द्रभान प्रदर्श-2 ने हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा है। इसके प्रदर्श-3 धीरीसिंह, प्रदर्श-4 रामेश्वर उसे बीमार होना कथित करते है। आगे कहा कि मनोहरी वसीयत के समय बेहोश होना कहा गया है। उनका तर्क है कि उत्तरदाता के गवाह कमला पुत्री रघुवीर काश्त करने वाला बैकुण्ठी पत्नि व चौबसिंह प्रदर्श-3 है। यह भी तर्क दिया कि कमला के गवाहान से उसके द्वारा वसीयत को सिद्ध

नहीं करवाया गया है, इस कारण मामले में विचारण न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उनका आगे तर्क है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध राजस्व रेकार्ड तथा वसीयत के निष्पादन के बारे में उचित मूल्यांकन कर आक्षेपित निर्णय प्रदान किया है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा पेश की गयी द्वितीय अपील को निरस्त कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों व उपलब्ध रेकार्ड का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण व अध्ययन किया है।

8. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद अपंजीकृत वसीयत दिनांक 11-11-1998 से संबंधित है। वसीयतनामा जो दिनांक 11-11-1998 को तहरीर किया जाकर रामहेत द्वारा अपनी अंगूठा निशानी कर मनोहरी पक्ष में निष्पादित की गई है। हमारे द्वारा कथित वसीयत का परीक्षण किया गया तथा जिसके अनुसार यह अंकन है कि ''चूँकि मेरी उम्र अधिक न मालूम कब चला जाऊ इसलिये मैं मनोहरी की सेवा से प्रसन्न होकर अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति की वसीयत मनोहरी के नाम करता हूँ मेरे जीवनकाल में चल व अचल सम्पत्ति का मालिक मैं ही रहूंगा, लेकिन उस पर कब्जा मनोहरी का है। मेरे मरने के बाद मेरी चल व अचल सम्पत्ति का मालिक मेरी भांति मेरा भानेजा मनोहरी पुत्र छोटे धीमर निवासी निभेरा रहेगा। ग्राम निभेरा में स्वअर्जित की हुई कृषि खसरा संख्या 632 व 825 है, उक्त कृषि भमि पर मनोहरी का 20 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा चल रहा है। ये भूमि भी मेरे मरने के बाद मनोहरी की ही रहेगी''। उक्त वसीयत को आधारित करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय पारित किए है तथा यह भी प्रकट होता है कि उक्त दस्तावेज अपंजीकृत है। वर्तमान में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार वसीयत का पंजीयन आवश्यक नहीं है तथा अपंजीकृत वसीयत को गवाहान से प्रदर्शित करवाया जाना प्रावधित है।

विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय द्वारा मनोहरी के दावे को साबित नहीं करना कथित करते हुए खारिज किया है तथा कमला द्वारा पेश किए गए वाद को स्वीकार कर प्रश्नगत रकबे का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। विचारण न्यायालय ने मुख्यतः निष्कर्षित किया कि प्रतिवादी मनोहरी के पक्ष में दिनांक 11–11–1998 को रामहेत द्वारा कराई गई वसीयत को अवैध व शून्य घोषित किया जाता है, चूँकि प्रतिवादी वसीयत को साबित कराने में असफल रहा है।

9. विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध मनोहरी द्वारा दायर अपीलों में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित कर विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर विचाराधीन अपीलों को स्वीकार किया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने सारगर्भित विवेचन में स्पष्ट किया कि राजस्व रेकार्ड के अनुसार आराजी रामहेत की पैतृक नहीं होकर स्वयं की अर्जित भूमि है, इस कारण रामहेत को अपनी अर्जित की हुई भूमि की वसीयत कराने का कानूनी अधिकार है तथा वसीयत के गवाह धीरीसिंह, रामेश्वर, दामोदार के बयानात से वसीयत उसके समक्ष रामहेत द्वारा मनोहरी के पक्ष में करायी गई।

10. बहस के दौरान अपीलार्थी कमला ने आक्षेप उठाया है कि वसीयतकर्त्ता रामहेत की पत्नि बैकुण्ठी एवं पुत्री कमला है जिनका विवादित भूमि में बहिस्सा बराबर का हक है तथा वसीयतकर्त्ता की स्वयं पैदा कर्त्ता आराजी नहीं है, बल्कि विवादित आराजी पुश्तैनी भूमि थी, जिसकी वसीयत रेस्पोडेन्ट के हक में करने का रामहेत को कोई अधिकार नहीं है। वसीयत दिनांक 11–11–1998 फर्जी है तथा वसीयत पर जिन गवाहों के हस्ताक्षर है उनके द्वारा भी वसीयत को साबित नहीं किया गया है तथा वह अनपढ है। उक्त स्थिति का फायदा उठाकर कथित वसीयत षडयंत्रपूर्वक रेस्पोडेन्ट के हक में निष्पादित करवाई दी गई है। अतः ऐसी वसीयत से उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। कथित वसीयत अपंजीकृत है तथा वसीयत के गवाह एवं जिसके हक में निष्पादित की गई है, उसने स्वीकार किया है कि वसीयतकर्त्ता रामहेत बीमार रहता था तथा उसने बेहोशी की हाल में वसीयत को की है। इस कारण उक्त वसीयत को वैध दस्तावेज में ग्राहय नहीं किया जा सकता।

11. मामले में निष्पादित तथाकथित वसीयत के बाबत दोनों पक्षों ने उज्र उठाये है। ऐसी स्थिति में विधि का यह प्रश्न अवधारित होता है कि आलोच्य अपंजीकृत वसीयत को पक्षकारान द्वारा गवाहान से समुचित रूप से प्रदर्शित करवाया गया है अथवा नहीं ? इसी बिन्दु के निर्धारण हेतु हम हस्तगत मामले को पुनः प्रथम अपीलीय न्यायालय को समस्त गवाहान द्वारा दर्शित किए गए बयानात के मद्देनजर तथा सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। ऐसी स्थिति में हम वर्तमान में प्रकरण के गुणावगुण के अन्य बिन्दुओं बाबत किसी प्रकार प्रेक्षण किया जाना उचित नहीं समझते है, क्योंकि हमारे निष्कर्ष से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व पक्षकारान के हित प्रभावित हो सकते है। तदनुसार प्रस्तुत अपीलों में विधि का प्रश्न निहित होने के कारण इन्हें आंशिक स्वीकार कर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना समीचीन है।

12. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह दोनों द्वितीय अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2005 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मामले में निष्पादित वसीयत दिनांक 11–11–1998 का विधि के परिप्रेक्ष्य में समुचित परीक्षण कर तथा सभी पक्षों को सुनते हुए व विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर पुनः विवाद्यकवार निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य